भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 116

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024

सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

त्रिपुरा में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना

116. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार त्रिपुरा के छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) त्रिपुरा के छठी अनुसूची क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल के माध्यम से सशक्त बनाने तथा स्थानीय उद्यमिता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ग) जी नहीं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के पास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। हालांकि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एकीकृत और समग्र तरीके से व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौशल विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते हैं।

(घ) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस), त्रिपुरा राज्य के साथ-साथ देश भर में युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

त्रिपुरा राज्य सहित पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास योजना के लिए सामान्य मानदंडों में विशेष प्रावधान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रदान किए गए हैं:

(i) परिवहन लागत- विशेष क्षेत्रों, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए, जो ऐसे विशेष क्षेत्रों के बाहर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वास्तविक रूप से आने-जाने की परिवहन लागत, प्रति प्रशिक्षु अधिकतम 5000/- रुपए के अधीन, देय है।

(ii) आधार लागत के अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष क्षेत्रों में आयोजित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आधार लागत के 10% के बराबर अतिरिक्त राशि की अनुमति है।

(iii) नव कुशल व्यक्तियों को वैतनिक रोजगार के अंतर्गत अपनी जॉब/व्यवसाय में स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए, उम्मीदवार को निम्नलिखित अवधि के लिए 1500/- रुपए प्रति माह की दर से सीधे नियुक्ति के बाद सहायता प्रदान की जाएगी:

नियोजन पश्चात सहायता दर 1500/- प्रति माह	पुरुष	महिला
निवास जिले के भीतर नियोजन	1 माह	2 माह
निवास जिले के बाहर नियोजन	2 माह	3 माह

*****